

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 48/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.10.2017

निर्णय दिनांक : 13.11.2017

राजस्थान सरकार

बनाम

फारूक, बाबू, सलीम, मुनीर,

रमजान पिता बशीर

जाति मीरासी नि0 कुचामन सिटी


—: उनवान :—

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि फारूक पुत्र बशीर जाति मीरासी वगैरह निवासीयान कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.04 हैक्टेर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि पर सम्मत 2074 में तम्बू व बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये गये। नोटिसों की प्रतिया गैर सायलान का काका सावत ने प्राप्त किये। गैर सायलान अनुपस्थित रहै।

गैर सायलान अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायलान का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायलान ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर गै.मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर

लगातार


तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी (नागौर)

(2)

सायलान पर लगान 0.20 का पच्चास गुणा से राशि 10/- अक्षरे दश रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायलान को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(महलेश्वर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर - राज0

मांग कायमी रा.ले.स.-4

दस्तावेज 10

2017-18

10

तराले कुचामन सिटी